



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220766
CG-DL-E-30072020-220766

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2190]
No. 2190]

नई दिल्ली, बुधवार जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SRAVANA 7, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

का.आ. 2480(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज-नागोथाने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को

उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में डिप्टी कलेक्टर (सूर्या परियोजना), दहानू, जिला पालघर एवं सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड, युनिट नं. 318, ओरिअन बिजनेस पार्क, कापुरबावडी, घोडबंदर रोड, ठाणे (पश्चिम) – 400610, महाराष्ट्र राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

eMy@rglhy@rkydk % d t r	ft yk % jk; xM	jkT; % egjk"V		
xko dk uke	lo: l@lc fMfot u l	vkj-vk;- vftir dju d	fy, {k=Qy	
		gDV; j	, ; j	fl &, ; j
1	2	3	4	5
1) देऊळवाडी	17 *	00	44	60
	24 *	00	18	67
	25 / 1 / अ	00	16	02
	26 / 1	00	16	80
	26 / 2	00	07	20
	27 / 4	00	07	80
	28 *	00	06	64
	31 / 1	00	04	93
	38 *	00	05	16
	39 *	00	07	45
	44 *	00	04	31

* का.आ. 2784(अ) दिनांक 07.10.2015 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

[फा. सं. एल.-14014/39/2020-जी.पी.-II]

राज किशोर] voj l fpo

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2020

S.O. 2480(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s Reliance Industries Limited (RIL), RIL's dedicated Dahej - Nagothane Liquid Ethane pipeline should be laid by M/s Reliance Gas Pipelines Limited;

And whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed here to;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying the said pipeline under the land to Deputy Collector (Surya Project), Dahanu, District Palghar & Competent

Authority, Reliance Gas Pipelines Limited, Unit No.318, Orion Business Park, Kapurbawdi, Ghodbunder Road, Thane West-400610, Maharashtra State.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Karjat	District : Raigad	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Devulwadi	17*	00	44	60
	24*	00	18	67
	25/1/A	00	16	02
	26/1	00	16	80
	26/2	00	07	20
	27/4	00	07	80
	28*	00	06	64
	31/1	00	04	93
	38*	00	05	16
	39*	00	07	45
	44*	00	04	31

* Additional Area to 3(1) Notification S.O. 2784(E) dated 07-10-2015

[F.No. L-14014/39/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.